जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/स्था/2020/ 2819 दिनांक : 19/06/2020

// कार्यालयीन आदेश //

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 326/67/2020/38/सी.सी. भोपाल दिनांक 17.06.2020 के द्वारा प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के कार्यालय के सन्दर्भ में निर्देशित किया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यालय पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे । विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत रहेंगी ।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय में सोशल डिस्टेंशिंग का पालन आवश्यक है । अतः आदेशानुसार पूर्व में कार्यालय संचालन हेतु जारी समस्त आदेश निरस्त किये जाते है तथा विश्वविद्यालय में नवीन आदेशानुसार कर्मचारियों को कार्य पर उपस्थित होने हेतु प्रतिदिन दो पालियो में (एक पाली में 50प्रतिशत) कार्यालयीन कार्य संपादित किये जायेंगे, जिसमें अधिकारियों की उपस्थिति शत–प्रतिशत रहेंगी । प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक एवं द्वितीय पाली दोपहर 02 बजे से 05 बजे तक रहेंगी । प्रथम एवं द्वितीय पाली में बुलाये जाने वाले कर्मचारियों का निर्धारण संबंधित विभाग अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/अधिकारी/कर्मचारी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. समस्त विभाग जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
3. जनसंपर्क अधिकारी, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
4. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. संबंधित पत्रावली हेतु।

उप–कुलसचिव(प्रशा0)